2008-09

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता वर्ष

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

भारत सरकार

पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 049

सुरक्षित भोजन महत्वपूर्ण है।

यह कथन सत्य ही है कि हम उसी तरह बनते हैं जैसा भोजन हम करते हैं। किसी देश की आबादी के लिए सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। असुरक्षित खाद्य पदार्थ किसी अंदरुनी दुश्मन के समान है, जो अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाते हैं, क्योंकि असुरक्षित खाद्य पदार्थों के उपभोग से संसाधनों का उपयोग रोगों एवं गरीबी से लड़ने में होने लगता है।

भारत में स्वास्थ्य पर प्रतिव्यक्ति 100 अमेरिकी डॉलर व्यय किए जाते हैं, राष्ट्र के स्वास्थ्य पर कुल व्यय की राशी 115 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत है। अतः यह अनिवार्य हो जाता है कि इस राशि को न्यूनतम बनाने के उपाए किए जाएं तथा इसके लिए खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार अनिवार्य है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से वर्ष 2008-09 को ''खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता वर्ष'' घोषित किया गया है।

यदि कुछ मानकों और प्राचलों को अपनाया जाए तो खाद्य जनित रोग और खाद्य पदार्थों की विषाक्तता को पूरी तरह से रोका जा सकता है। इसे खेत से लेकर और भोजन की थाली तक पहुंचने की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में अपनाया जाना होगा। दुनिया भर के प्रत्येक उपभोक्ता को अधिकार है कि वह सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ ग्रहण करें और इसका प्रावधान सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

वर्ष 2008-09 भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा की जा रही नई पहलों के साथ भारत में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए उपलब्धिपूर्ण वर्ष होगा, जिन्हें पहले से प्रचालित योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ समेकित किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में 11वीं योजना में कार्यनीतिक बाध्यस्थताओं के लिए कुछ प्रबलन क्षेत्रों की पुनर्सरचना और चयन किया गया है। ये इस प्रकार हैं :

- मेगा फूड पार्कों की स्थापना
- खेत के स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र एवं शीत श्रृंखला सहित विभिन्न स्तरों पर समेकित शीत श्रृंखला अवसंरचना का सृजन
- संग्रह/समूहन केन्द्रों और कार्यनीतिक वितरण केन्द्रों की स्थापना
- राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) की स्थापना द्वारा क्षमता निर्माण
- गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता वर्ष का कार्यान्वयन निम्नलिखित तीन कार्यनीतियों के माध्यम से किया जाएगा :

समन्वित प्रयास

वर्ष 2008-09 में इस मंत्रालय की प्रस्तावित पहलों के साथ अन्य मंत्रालयों, जिनमें शामिल है कृषि, वाणिज्य, स्वास्थ्य आदि, को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाएगा। राज्य सरकारों के साथ नजदीकी सहयोग इस कानून के सफल कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य होगा।

खाद्य सुरक्षा पर वैश्विक फोकस

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर वैश्विक फोकस का अर्थ है कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता भारत के खाद्य निर्यातों को बनाए रखने एवं बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वैश्वीकरण तथा प्रशुल्क एवं गैर – प्रशुल्क बाधाओं को हटाने से घरेलू बाजारों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा लाई गई है, जिससे भारतीय उद्योग को खाद्य सुरक्षा की सशक्त प्रथाएं अपना और गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य हो गया है।

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार एक बार के प्रयास की तुलना में एक निरंतर तथा स्थायी प्रयास होना चाहिए एवं सभी पणधारियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

पणधारियों का सहयोग

सरकार तथा इसके संस्थानों, संपूर्ण खाद्य श्रृंखला को शामिल करने वाले उपयोग, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, उपभोक्ता निकाय तथा क्षेत्र में कार्यरत पेशेवर व्यक्तियों को लेकर एक बहु दिशात्मक एवं समन्वित कार्यनीतियां सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ सुनिश्चित कराने के लिए अनिवार्य है।

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता वर्ष प्रमुख चिंताओं को संबोधित करने एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित पहलों के माध्यम से वांछित परिणाम पाने पर समन्वित बल देने का एक अवसर है। 11वीं योजना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अनेक नई पहलों के माध्यम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर प्रमुख बल दिया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना स्कीमें:

क) अवसंरचना विकास की स्कीम

ख) गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान और विकास तथा प्रोत्साहन गतिविधियों की स्कीम

ग) मानव संसाधन विकास की स्कीम

घ) सड़क के किनारे मिलने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में उन्नयन की स्कीम

ङ) संस्थानों के सुदृढ़ीकरण की स्कीम

च) प्रौद्योगिकी उन्नयन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की स्कीम

वर्ष 2008-09 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा की गई पहलों की रूप-रेखा

मंत्रालय की विभिन्न पहलें समग्र खाद्य श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण पर लक्षित क्षमता निर्माण और अवसंरचना उन्नयन हेतु अभिकल्पित की गई हैं। इन पहलों में शामिल हैं :

क) देश भर में 10,000 सड़क पर खाद्य पदार्थ बेचने वालों की स्वच्छता और गुणवत्ता का उन्नयन।

ख) अवसंरचना के सृजन जैसे कि ड्रेनेज, पानी की आपूर्ति, रोशनी आदि के लिए सहायता सहित खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता के संदर्भ में 10 पारम्परिक क्विज़ीन (व्यंजन) सड़कों का उन्नयन।

ग) एचएसीसीपी/जीएमपी/आईएसओ 22000 के लिए 10,000 खाद्य प्रसंसाधन इकाइयों का क्षमता निर्माण।

घ) उद्योग में सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाने के लिए 50 खाद्य सुरक्षा प्रयोगशालाओं का उन्नयन कर उन्हें बैंचमार्क करना।

ङ) देश भर में 10,000 किसानों को, प्रत्येक राज्य में लगभग 500, को ऑर्गनिक खाद्य पदार्थों के लिए तथा अच्छी कृषि प्रथाओं (जीएपी) के प्रमाणन हेतु उन्न्यन प्रदान करना।

च) 10 पशुवध गृहों का उन्नयन और खुदरा नेटवर्क से शीत श्रृंखला के माध्यम से उन्हें जोड़ना।

छ) पणधारियों के परामर्श से खाद्य उत्पाद क्रयादेश और मांस तथा मांस खाद्य उत्पादों के क्रयादेशों की समीक्षा करना।

ज) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा मानकों की समीक्षा।

झ) नवाचारी खाद्य उत्पादों और प्रथाओं के लिए पुरस्कार।

ञ) विभिन्न फसलों में बर्बादी रोकने के लिए जरूरी पाए गए कदमों को अभिज्ञात करने के लिए सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन।

ट) खाद्य उत्पादों और भोजन की पोषण मात्रा में पीड़कनाशियों, अन्य अवशेषों के आकलन हेतु राज्य स्तरीय अध्ययन।

ठ) खाद्य सुरक्षा मुद्दों के उत्तर में एक तीव्र प्रत्युत्तर प्रणाली के लिए कार्य योजना तैयार करना।

ड) सड़क पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों के क्षेत्र हेतु मानकों का विकास।

ढ) कोडेक्स एलीमेंटेरियस के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार भारत के स्थानीय मानकों पर कार्रवाई के बिन्दुओं को अभिज्ञात करना।

ण) स्कूली पाठ्यक्रम में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों पर विवरणिका का प्रकाशन।

त) स्कूली पाठ्यक्रम में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों को आरंभ करना।

थ) भारतीय व्यंजनों पर पुस्तक का प्रकाशन।

द) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता पर संक्षिप्त अवधि की कार्यशालाओं के वर्षभर लम्बे कार्यक्रम।

ध) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता वर्ष 2008-09 को स्मरणीय बनाने के लिए डाक टिकट जारी करना।

भावी संघर्ष . . .

खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता वर्ष सरकारी एजेंसियों, निजी क्षेत्र संगठनों एवं अन्य पणधारियों के समन्वित प्रयास के कारण मानकों के उन्नयन पर प्रभाव डालने के लिए तैयार है। आरंभ की जाने वाली यह प्रक्रिया बढ़ती जागरूकता और परिणामस्वरूप मिलने वाले आर्थिक तथा सामाजिक लाभों के साथ खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की नई पहलों के रूप में सामने आएगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता पहलों पर विभिन्न पणधारियों एवं उपभोक्ताओं तक पहुंचने का एक वर्ष का अभियान चलाया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

भारत सरकार

पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 049